संख्या- 16/2024/620/58-2024/1801879

प्रेषक,

विनय कुमार,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग लखनऊ : दिनांक 29 मार्च, 2024

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप-माइक्रोइरीगेशन योजनान्तर्गत एस.सी.पी. श्रेणी में तृतीय किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि रू0-1551.00 लाख के क्रम में अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत राज्यांश एवं अतिरिक्त राज्यांश (टॉप-अप) की धनराशि रू0-2462.09 लाख की व्यवस्था विभागीय योजनाओं में उपलब्ध हो रही बचतों से पुनर्विनियोग की स्वीशकृति प्रदान करते हुए अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-149/बजट/2023-24, दिनांक 15.03.2024 के सन्दर्भ में शासन के पुर्नविनियोग संख्या-आर0ई0-बजट-1/ई-864/दस-2024, दिनांक-29.03.2024 एवं पृष्ठांकन संख्या-514/58-2024, दिनांक-29.03.2024 की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप-माइक्रोइरीगेशन योजनान्तर्गत एस.सी.पी. श्रेणी में तृतीय किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि रू0-1551.00 लाख के क्रम में अनुदान संख्या-83 लेखाशीर्ष-2401-789-01-0109-पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन योजना के मानक मद-44-प्रशिक्षण, लेखाशीर्ष 2401-789-89-8909-पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन योजना के मानक मद-44-प्रशिक्षण, लेखाशीर्ष 2401-789-01-0122-प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के मानक मद-27 सब्सिडी एवं लेखाशीर्ष 2401-789-89-8922-प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के मानक मद-27 सब्सिडी में हो रही बचतों से लेखाशीर्ष 2401-789-01-0109-पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन योजना के मानक मद-27-सब्सिडी में एवं 2401-789-89-8909-पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन योजना के मानक मद-27-सब्सिडी में **रू0 2462.09 (रूपये चौबीस करोड़**

https://shasanadesh.up.gov.in

बासठ लाख नौ हजार मात्र) की स्वीकृत करते हुए निम्नलिखित मदवार विवरण/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. चूंकि वर्तमान में लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 हेतु आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी है। निदेशक/वित्त विनयंत्रक, उद्यान विभाग स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि इनका उल्लंघन न हो।
2. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसमें अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।
3. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मॉग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
4. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17.03.2023 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
7. भारत सरकार के पत्र दिनांक-22.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन निदेशक, उद्यान/वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, उद्यान/वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग का होगा।
9. इस योजना में स्वीकृत धनराशि का अन्य संचालित योजनाओं के मदों में व्यय हेतु जारी स्वीकृतियों से द्विरावृत्ति न हो।
10. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
11. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

shasanadesh.up.gov.in

12. योजना से आच्छादित पात्र लाभार्थियों का चयन कर उनकी सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया गया है।

13. योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में निर्गत की गयी धनराशि के सापेक्ष कृत कार्यों का भौतिक सत्यापन कराते हुए गुणवत्ता की जांच योजना की गाइड लाइन्स के अनुसार सुनिश्चित कर ली गयी है।

14. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग का उत्तरदायित्व रहेगा।

15. विभागाध्यक्षों/वित्त नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 9,13,92,000 (रुपये नौ करोड़ तेरह लाख बयान्वे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 2401007890109 "पर ड्रॉप मोर क्रॉप"- माइक्रो इरीगेशन योजना (के.60/रा.40-के.) मानक मद 27 सब्सिडी (2) रुपये 15,48,17,000 (रुपये पंद्रह करोड़ अड़तालीस लाख सत्रह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 2401007898909 "पर ड्रॉप मोर क्रॉप"- माइक्रो इरीगेशन योजना मानक मद 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(विनय कुमार)
उप सचिव।

संख्या- 16/2023/620(1)/58-2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अनु सचिव, भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन नई दिल्ली।

https://up.gov.in

2- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

3- महालेखाकार, लेखा परीक्षक, प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

4- वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। द्वारा-निदेशक

6- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। द्वारा-निदेशक

7- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, उद्यान, उत्तर प्रदेश। द्वारा-निदेशक

8- समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश। द्वारा-निदेशक

9- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार)
उप सचिव।

https://shasanadesh.